न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 31/2014

बउनवान

सरकार जर्ये तहसीलदार, मांगरोल जिला–बारां (राज0) (प्रार्थी)

बनाम

1. रामनारायण पुत्र धूलीलाल जाति बैरवा निवासी बमोरीकलां
2. मथुरालाल पुत्र धूलीलाल जाति बैरवा निवासी बमोरीकलां **(मृतक)**

2/1 लटूरलाल पुत्र मथुरालाल
2/2 जगदीशचन्द पुत्र मथुरालाल
2/3 बृजमोहन पुत्र मथुरालाल **(मृतक)**
2/3/1 दीपक पुत्र बृजमोहन
2/3/2 आकाश पुत्र बृजमोहन
2/3/3 विमलाबाई पत्नि स्व. बृजमोहन
2/4 चाहन्याबाई पुत्री मथुरालाल
2/5 बदामबाई पुत्री मथुरालाल
2/6 बद्रीबाई पत्नि स्व. मथुरालाल

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

जातिगण बैरवा निवासीगण बमोरीकलां, तहसील, मांगरोल जिला बारां (राज.)

(अप्रार्थीगण)

रेफरेन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :– 1. पेरोकार सरकार (प्रार्थी)
2. श्री जयेश सक्सेना अभिभाषक (अप्रार्थी कम 1)

आदेश दिनांक– 27.03.2024

1– प्रार्थी सरकार जर्ये तहसीलदार, मांगरोल ने रेफरेंन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वर्तमान में विवादित आराजी ख0नं0 331 रकबा 0.40 है. किस्म नहरी I वाके ग्राम बमोरीकलां तहसील–मांगरोल राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी के सेटलमेंट अवधि सम्वत् 2014–23 में खसरा नंबर 422 रकबा 9 बीघा 6 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन तलाई दर्ज थी। खसरा नंबर 422 रकबा 9 बीघा 6 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन तलाई के नवीन ख0नं0 331 रकबा 0.40 है. किस्म नहरी I कायम किये जाकर उक्त भूमि अवैधानिक रूप से धूलीलाल पुत्र हरलाल, रामनारायण पुत्र धूलीलाल कोम बैरवा निवासी बमोरीकलां के खातेदारी में दर्ज कर दी है, जो मुताबिक जमाबन्दी संवत 2069–72 अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है, जो भू. राजस्व अधिनि[illegible] धारा 88 के प्रावधानों के विपरित तथा अवैधानिक है। प्रकरण अब्दुल [illegible] माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में डी.बी.रिट संख्या 1606/2003 निर्णय दिनांक 02.08.2004 में भी ऐसी भूमि के आवंटनों/नियमनो को विधि विरुद्ध मानते हुए आवंटन निरस्त किये जाने के [illegible] दिये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.04.29 10:05:12 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

अतः उक्त आवंटन/नियमन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–16 के तहत अवैधानिक है तथा डी0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय दिनांक 2.8.2004 अनुसार ऐसी आराजी को पूर्ववत दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः आवंटन निरस्त किया जाकर, भूमि को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

2– प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा जर्ये अभिभाषक जवाब इस आशय का पेश किया कि वाके ग्राम बमोरीकलां तहसील मांगरोल की आराजी खसरा नंबर 422 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा का आवंटन प्रार्थी के पिता धूलीलाल पुत्र हरलाल जाति बैरवा एवं प्रार्थी को आवंटित की गई थी। आवंटन के समय भी उक्त आराजी तलाई नहीं थी। आवंटन के समय से ही प्रार्थी उक्त आराजी पर काबिज चला आ रहा है तथा उक्त आराजी के हाल खसरा नंबर 331 रकबा 0.40 है. हैं, जो वर्तमान में प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी के पास उक्त आराजी के अलावा कोई आराजी नहीं है तथा यही आराजी प्रार्थी की आजीविका का साधन है।डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार से भी उक्त कार्यवाही तलाई नहीं होने की वजह से परिभाषित नहीं होती है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध उक्त कार्यवाही निरस्त फरमावें।

3– उक्त जवाब प्राप्त होने पर हमने बहस उभयपक्ष पेरोकार सरकार एवं विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण की सुनी। दौराने बहस पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त विवादित आराजी के सेटलमेंट अवधि सम्वत् 2014–23 में खसरा नंबर 422 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन तलाई के नवीन ख0नं0 331 रकबा 0.40 है. कायम किये जाकर उक्त भूमि गै.मु.तलाई की किस्म नहरी I कायम कर अवैधानिक रूप से धूलीलाल पुत्र हरलाल एवं रामनारायण पुत्र धूलीलाल कोम बैरवा निवासीगण बमोरीकलां के खातेदारी में दर्ज कर दी है, जो मुताबिक जमाबन्दी संवत 2069–72 अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है, जो भू. राजस्व अधिनियम की धारा 88 के प्रावधानों के विपरित तथा अवैधानिक है। डी0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2004 अनुसार भी ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये है। माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार उक्त आवंटन/नियमन को निरस्त किया जाकर, पूर्ववत आवंटित आराजी को गै.मु. तलाई दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी तहसीलदार, मांगरोल द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थनापत्र धारा–82 भू राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार किया जाकर, रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को अग्रेषित किया जावे।

4– दौराने बहस अभिभाषक अप्रार्थी क्रम 1 ने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजी का आवंटन आवंटन अधिकारी द्वारा मौके की स्थिति की जानकारी लेकर भूमि आवंटन योग्य पाये जाने पर ही नियमानुसार आवंटित की गई थी। मौके पर कोई तलाई मौजूद नहीं थी औ[illegible] तलाई है। वर्तमान मे अप्रार्थीगण विवादित आराजी पर काबिज काश्त हैं तथा उ[illegible] अप्रार्थीगण की आजीविका का एकमात्र साधन है। मौके पर भूमि समतल तथा कृषि योग्य [illegible] वहां पर तलाई का कोई नामोनिशान मौजूद नहीं है। अतः उक्त रेफरेन्स खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.04.29 10:05:12 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

5— हमने पेरोकार सरकार व अप्रार्थी अभिभाषक की बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि सेटलमेंट पूर्व जमाबन्दी सम्वत् 2014–23 अनुसार विवादित आराजी वाके ग्राम बमोरीकलां खसरा नंबर 422 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई खाता सरकार दर्ज है। जिसका धूलीलाल पुत्र हरलाल एवं रामनारायण पुत्र धूलीलाल कोम बैरवा निवासीगण बमोरीकलां को आवंटन/नियमन किया गया है। उक्त आराजी के बाद सेटलमेंट संवत 2044–62 नये खसरा नम्बर 331 रकबा 0.40 है. किस्म नहरी । बने है, जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार धूलीलाल पुत्र हरलाल एवं रामनारायण पुत्र धूलीलाल कोम बैरवा निवासीगण बमोरीकलां को जिस वक्त भूमि आवंटन/नियमन की गयी थी उस वक्त विवादित आराजी किस्म गै.मु.तलाई खाता सरकार दर्ज थी, जो आवंटन/नियमन योग्य भूमि नहीं थी। धूलीलाल पुत्र हरलाल एवं रामनारायण पुत्र धूलीलाल कोम बैरवा निवासीगण बमोरीकलां को उक्त आराजी का आवंटन/नियमन नियम विरूद्व हुआ है।

6— माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 में ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। इसलिये हम उक्त आवंटन/नियमन को विधि विरूद्व मानते हुए, आवंटन/नियमन निरस्त करने के लिये रेफरेंन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अग्रेषित किया जाना उचित समझते है।

7— परिणास्वरूप, प्रार्थी जर्ये तहसीलदार, मांगरोल का रेफरेन्स प्रार्थनापत्र स्वीकार कर, अप्रार्थीगण के वर्तमान में वाके ग्राम बमोरीकलां में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 331 रकबा 0.40 है. किस्म नहरी । जो मूल रूप से सेटलमेंट पूर्व साबिक खसरा 422 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई से बना है जिसका धूलीलाल पुत्र हरलाल एवं रामनारायण पुत्र धूलीलाल कोम बैरवा निवासीगण बमोरीकलां को गलत रूप से आवंटन/नियमन हुआ है, आवंटन/नियमन निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा–82 के अन्तर्गत रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रेषित किया जावे। इस हेतु तहसीलदार मांगरोल को आदेश दिये जाते है कि इस न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त कर, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर, अन्दर मियाद रेफरेंस प्रस्तुत करे तथा सावचेत होकर प्रकरण में पैरवी सुनिश्चित करे।

8— तहसीलदार, मांगरोल को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रश्नगत आवंटन/नियमन की गई आराजी जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है। जमाबन्दी खाते पर रेफरेंन्स होने का नोट लाल स्याहीं से राजस्व रेकार्ड में अंकित करें।

आदेश आज दिनांक 27.03.2024 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.04.29 10:05:12 IST
Reason: SelfAttested

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)